



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042023-245079
CG-DL-E-10042023-245079

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1613]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 10, 2023/चैत्र 20, 1945

No. 1613]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 10, 2023/CHAITRA 20, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
आय-कर
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023

का.आ. 1692(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ. 1790(अ), तारीख 5 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना की, सारणी में क्रम सं. 22 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक (प्रोविजनल)
(1)	(2)	(3)
"23	2023-24	348"।

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 21/2023/ फा.सं. 370142/5/2023-टीपीएल]

रमन चोपड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1790(अ), तारीख 5 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ.2735(अ), तारीख 14 जून, 2022 द्वारा किया गया।